का॰ज्ञा॰सं॰ 13017/5/88-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 14.11.1988

विषय:— सार्वजनिक स्थानों पर लगे बोर्डों आदि में द्विभाषिकता।

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों पर लागू होती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या आधिकरण का कार्यालय भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय की परिभाषा में सम्मिलित हैं। ऐसे सभी कार्यालयों में नामपट्ट, बोर्ड तथा अन्य सभी प्रकार के कार्य में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।

2. इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि केन्द्रीय सरकार के कई भवनों में कार्यालयों के बाहर लगे बोर्डों पर या कमरों के बाहर लगे नाम पट्टों आदि पर देवनागरी में लिखे गए शब्दों की वर्तनी (स्पेलिंग) में गलतियां रहती हैं। इन गलतियों को ठीक कराने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया जाता। हिन्दी के शब्दों में पाई जाने वाली इन गलतियों का उन व्यक्तियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिन्हें हिन्दी का बहुत मामूली ज्ञान है। इनसे राजभाषा हिन्दी की प्रतिष्ठा भी कम होती है। इसलिए यह अनुरोध है कि सामान्यत: केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी, विशेष रूप से हिन्दी अधिकारी, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, अनुवादक आदि इस बात का ध्यान रखें कि जब भी उनके कार्यालयों के बाहर या कमरों के बाहर लगे बोर्डों या नाम पट्टों पर उन्हें देवनागरी में लिखे शब्दों में कोई अशुद्धि दिखाई दे तो उसे दूर कराने का विशेष प्रयत्न तुरन्त किए जाएं।

3. इस पर की गई कार्रवाई की सूचना इस विभाग को भी दी जाए।